

>

Title: Need to ensure participation of elected public representatives in the implementation of smart city project - Laid.

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): देश के चुनिन्दा 100 शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजना पर काम चल रहा है। इन शहरों का चुनाव प्रतिस्पर्धा आयोजित कर किया गया था। ग्वालियर भी इसमें शामिल है। सभी शहरों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एस.पी.वी. का गठन किया गया है। इन सभी कम्पनियों के अध्यक्ष शासकीय अधिकारियों को बनाया गया है। संचालक मण्डल में भी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के अधिकारियों को रखा गया है। इन कम्पनियों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति न होने से इस योजना के क्रियान्वयन में जनता की कोई भागीदारी नहीं है। ग्वालियर में भी लगभग 2300 करोड़ रूपये की इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित एस.पी.वी. का अध्यक्ष कलेक्टर ग्वालियर को बनाया गया है। महापौर की कोई भी भूमिका इसमें नहीं है। संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में मात्र एक पार्षद को नामित करने का प्रावधान रखा गया है। निगम आयुक्त को उस कम्पनी में एक्जिक्यूटिव डायरेक्ट नियुक्त किया गया है। जो कलेक्टर ग्वालियर के अधीन काम करता है। इससे अनेकों गलतफहमियां भी उत्पन्न होती है। व जिम्मेदारी तय करने में भी दिक्कतें होती हैं। नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी, कलेक्टर के अधीनस्थ रहकर कार्य करें व निगम के मुखिया महापौर की इसमें कोई भी भूमिका न हो यह उचित प्रतीत नहीं होता। सभी स्थानों पर यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सदन के माध्यम से सरकार तक मैं यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी परियोजना का क्रियान्वयन निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के नेतृत्व में हो जिससे जन-आकांक्षाओं के अनुरूप विकास हो और जनता सीधे इस योजना से अपना जुड़ाव अनुभव करें, इन योजनाओं को मात्र सरकारी योजनायें न मानकर अपनी योजनायें समझें। तभी इन योजनाओं का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक संभव हो सकेगा।

